फा.सं. 7(25)/संस्था-III(क)/97

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली , दिनांक 15 अप्रैल, 1998

कार्यालय ज्ञापन

विषय:– केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सी.एच.एस.) में शामिल पदों के सिवाय सभी चिकित्सीय पदों से संबंधित प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दरों में संशोधन ।

*****

मुझे इस मंत्रालय के कार्या. ज्ञा. संख्या एफ.7(98) संस्था-III/98 दिनांक 27.2.98 का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें चिकित्सीय पदों के लिए अलग-अलग वेतन श्रेणियों के अनुसार 800 रू. से लेकर 1000 रूपए तक का प्रैक्टिस बंदी भत्ता स्वीकृत किया गया था । पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 52.18 में सिफारिश की थी कि चिकित्सकों को वेतन श्रेणियों के आधार पर दिए जाने वाले प्रैक्टिस बंदी भत्ते की मौजूदा प्रणाली को बदल दिया जाए और इसके स्थान पर उन्हें यह भत्ता, उन्हें मूल वेतन के 25 प्रतिशत की एक समान दर पर दिया जाए । बशर्ते इस स्थिति के, कि वेतन तथा प्रैक्टिस बंदी भत्ते का योग 29.500 रू. से अधिक नहीं होना चाहिए । सरकार ने आयोग की उस सिफारिश पर विचार किया और इसे स्वीकृत कर लिया है ।

2. तदनुसार राष्ट्रपति, सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि अब से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा जैसी विधिवत गठित सेवाओं को छोड़कर शेष सभी चिकित्सीय पदों के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ता मूल वेतन के 25 प्रतिशत की एक समान दर से अदा किया जाएगा । साथ में शर्त यह होगी कि इस प्रकार दिए जाने वाले प्रैक्टिस बंदी भत्ते तथा वेतन का योग 29.500 रू. से अधिक न हो । ये संशोधित दरें केन्द्रीय सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 1997 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को मान्य संशोधित वेतन पाने की तारीख से लागू होंगी ।

3. संशोधित दरों पर देय प्रैक्टिस बंदी भत्ता सिर्फ उन्हीं चिकित्सकीय पदों पर दिया जाएगा जिनके लिए भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1956 या दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 के

.....2/-

तहत् चिकित्सीय अर्हता अनिवार्य योग्यता के रूप में निर्धारित की गई हो और जिनके लिए ग्रह भत्ता अनिवार्यतः लागू हो ।

4. वर्तमान में सभी सेवा संबंधी मामलों में प्रैक्टिस बंदी भत्ते को "वेतन" के रूप में समझा जाएगा । अर्थात महंगाई भत्ते की गणना के समय, यात्रा भत्ते और अन्य भत्तों की हकदारी और सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना के समय इस भत्ते की गणना वेतन के रूप में की जाएगी ।

5. ये आदेश रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा आणविक ऊर्जा विभाग के अधीन चिकित्सीय पदों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनके संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

(मधुलिका पी. शुक्ल)
निदेशक (वेतन)

सेवा में,

सभी मंत्रालय तथा विभाग आदि ।

स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, रेलवे, रक्षा और गृह मंत्रालयों को उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन चिकित्सा सेवाओं के लिए आवश्यक आदेश जारी करने हेतु प्रतिलिपि प्रेषित ।

स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के अन्तर्गत चिकित्सकीय पदों के लिए वैसा ही आदेश जारी कर सकता है ।

(मधुलिका पी. शुक्ल)
निदेशक (वेतन)